भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 149A/2016-17

चैतन सरदार **बनाम** श्याम कुमार सरदार

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

02-04-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 107 दिनांक 19.01.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 149A/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता चैतन सरदार पिता स्व0 ललका सरदार, ग्राम–किता, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने कृषि उपकरण खरीदने एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता श्याम कुमार सरदार पिता स्व0 विजय सरदार, ग्राम–किता, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
किता	273	53	197	0.31 ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 3.43 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.31 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.12 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'भूमिज', जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.31 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

02/04/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner